रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 1975/भाद्र 20, 1897
No. 177] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 1975/BHADRA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th September 1975

SUBJECT.—*Imports through Air India/Indian Airlines.*

No. 92-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 61-ITC(PN)/75 dated the 4th July, 1975 pertaining to the Imports through Air India/ Indian Airlines against REP licences during 1975-76.

2. On a review of the position it has been decided that the facilities provided in the said Public Notice will also apply to 'Actual User' licences issued for import of raw materials/components/spares and import licences for capital goods/H.E.P. issued against free foreign exchange (General Currency Area) only. In such cases, however, the amount of freight will be debited to the licences concerned but such debit will be made only to the extent of the likely element of sea freight which, on an average, will be taken at 20 per cent of the price of the imported goods and the difference between the air freight and the sea freight will not be debited to the import licence. Other conditions as stipulated in the aforesaid Public Notice dated 4th July, 1975 will apply.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1975

विषय.—एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स के माध्यम से आयात ।

सं० 92-आई०टी०सी० (पी० एन०)/75.—आर० ई० पी० लाइसेन्सों के पर एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स के माध्यम से 1975–76 के दौरान आयातों सम्बन्धित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 61-आई० टी० सी० (पी० एन०)/7 दिनांक 4 जुलाई, 1975 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उक्त सार्वजनिक सू. में दी गई सुविधाएं कच्चे माल/संघटकों/फालतू पुर्जों के आयात के लिए जारी किए गए वास्तवि "उपयोक्ता" लाइसेन्सों और केवल मुक्त विदेशी मुद्रा (सामान्य मुद्रा क्षेत्र) के प्रति जारी किये ग पूंजीगत माल/एच०ई०पी० के लिए आयात लाइसेन्सों के लिए भी लागू होगी । फिर भी ऐ मामलों में भाड़े की धनराशि सम्बद्ध लाइसेन्सों के नामे डाली जाएगी परन्तु यह धनराशि के. समुद्री भाड़े की तुल्य सीमा तक होगी जो कि आयात माल की कीमत की औसतन 20% होगी और वायुमार्ग भाड़े और समुद्री भाड़े के बीच अन्तर की धनराशि आयात लाइसेंसो नामे नहीं डाली जाएगी । । पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 4 जुलाई, 1975 में निर्धारि अन्य शर्तें लागू रहेंगी ।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1975—March 1976 (Amendment).*

No. 93-ITC (PN)/75.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters a contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period Apr 1975—March 1976 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/7 dated the 7th April, 1975.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II).	Reference	Amendment
1	2	3
19	Section I Part 'B' Para 42	The following may be added after the existing sub-para (4) :— "(5) Notwithstanding the restrictions contained in sub-clauses (i and (iii) of sub-para (1) of this para, the facility for the gran of letter of authority will be available to manufacturer-exporter and eligible export house whose exports in respect of the pro ducts covered by the import policy for Registered Exper ters during 1975-76 or 1974-75 were at least 50% higher in fob value than the fob value of exports in the year previou to that, provided that the fob value of exports in th previous year over which an increase in exports is shown wa not less than Rs. 10 crore. In the case of exporters whose expor in the previous year over which the increase is shown were

1	2	3
		Rs. 10 crores or above in fob value, the minimum increase for the purpose of the provisions of this sub-para will be reckoned at 25% instead of 50%). In such cases the facility for the grant of letter of authority may be given as under :— (a) If the Registered Exporter is a manufacture exporter, he may be given letters of authority even in respect of items referred to in sub-clause (ii) of sub-para (1) of this para. (b) If the Registered Exporter is an eligible expert house, he may be given letters of authrity even in respect of items referred to in sub-clause (iii) in sub-para (1) of this para. (c) the facility in (a) & (b) above will not be available for the items listed in sub-clause (i) of sub-para (1) of this para.
57	Section I ——— Part E, Para 15	The following may be added as sub-para 15(iv):— "(iv) Where the OCI & E is satisfied that an exporter has failed, for inadequate reasons, to supply any data pertaining to exports and production to the licensing or sponsoring or registering authority within the stipulated period and in the manner asked for, or having supplied the required data, has failed to supply further information to Government for verification of such data, he may direct the registering authority to de-register such exporter for specified or indefinite period and in respect of a specific export product or products or all the export products covered by the import policy for Registered Exporters; provided that no such action shall be taken unless the exporter has been given an opportunity of being heard in the matter." *Note* : The corresponding provision in para 107 at page 50 of the ITC Hand Book of Rules and Procedure for 1975-76 may also be deemed to have been amended accordingly.
89	A. 48 ——— Col. 4	The face value restriction of 25% against item No. (iv) may be deemed to have been deleted.
129	B.31.1(i) ——— Col. 4	The following items may be added in the Shopping List :— "(auol Hydroxy Ethyl Cellulose, Methyl Cellulose, Modified Methyl Cellullose, Urethane Resins-Oils. (10%)".
139	B.62.1 ——— Col. 4	The existing description of item "(1)" may be amended to read under :— "Special purpose synthetic rubber such as SBR/Polybutediere Poly-isoprene; Chloroprene, Nitrile, PVC Nitrile, Hyssler Butyl & Synthetic Latex, including Vinyl Pyridire, Latex & Co-Polymer and Styrene Butadiene Latex etc. (25%)"
145	B.70.3 ——— Col. 5	The following remark may be added in Col. 5 :— "(1) Import of Lanolin will be allowed only against exports of 'Carbon Paper'."
168	E. 1 ——— Col. 5	The second sentence in Remark No. (6) may be eemed to have been deleted.
170	F.1.1 ——— Col. 5	The existing words "Director of Fisheries" appearing in the remark Nos. (1), (2) and (5) may be substituted by the following :— "Director of Fisheries/MPEDA".

1	2	3
171-172	F.I.3 ——— Col. 5	The existing words "Director of Fisheries" appearing in the remar. Nos. (3), (4) and (5) may be substituted by the following :— "Director of Fisheries/MPEDA".
199	O.I.4 ——— Col. 5	The existing remark No. (2) may be amended to read as under :— "(2) Nomination may be made in favour of a manufacturer of (i) mixed fabrics of cotton and/or Cellulosic Fibre and wool and (ii) Trimmings and Embellishments. Manufacturers of metallic zip fastteners/plastic zip fasteners/snap fasteners may be nominated against export of garments with metallic zip fasteners/plastic zip fasteners respectively. [See remarks (xxiv) in Col. 5 under General Note (1) in the case of Metallic Yarn]."
231	Y. 2 ——— Col. 4	The following item may be added :— "(d) Spathic Iron Ore (10%)",
235	Annexure I ——— Sl. No. 7	The existing description of the export product may be amended to read as "Fish, Fish Meal & Fish Products".

3. The following items may be deemed to have been inserted alphabetically in Section IV-Classification of Export Products of the Red Book (Vol. II) for 1975-76 :—

A. ENGINEERING GOODS :

1. Aluminium round glass top boxs for watch-makers	A.61.2
2. Tweezers for watch-maker	A.106.1
3. Pinvice for watch-maker	A.106.1
4. Pinch boxes with Punches	A.111.4
5. School Lorries (rails)	A.141.1
6. Rail Inspection Cars	A.141.1
7. Cane Lorries (rails)	A.141.2
8. Aluminium Eye Glasses for watch-maker	A. 163
9. Disposable Catridges for immersion Pyrometers	A. 163

B. CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS :

1. Silicon Coated Paper	B. 67.1

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन)

सं० 93-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 21-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75 दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के अन्तर्गत अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 अवधि के लिए प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 2) में यथा निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे सकेतित उपयुक्त स्थानों पर किये जाएं :—

रेडबुक वा०-2 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
19	खण्ड—1 भाग 'बी', कंडिका 42	वर्तमान उप-कंडिका (4) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— "(5) उप-कंडिका (1) के उप अनुच्छेद (2) एवं (3) में निहित प्रतिबंधन के रहते हुए भी प्राधिकार पत्र स्वीकृत करने की सुविधा उन विनिर्माणकर्त्ता निर्यातकों एवं पात्र निर्यात सदन के लिए उपलब्ध होगी जिन का 1975–76 या 1974–75 के दौरान पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यात पिछले वर्ष के निर्यातों के जहाज पर्यन्त मूल्य की तुलना में कम से कम 50% अधिक जहाज पर्यन्त मूल्य का या बशर्ते कि पिछले वर्ष में निर्यातों का जहाज पर्यन्त मूल्य जिस के लिए निर्यात में वृद्धि दिखाई गई है एक करोड़ रुपये से कम नहीं था। (उन निर्यातकों के मामले में जिन का निर्यात पिछले वर्ष में जिस के लिए जहाज पर्यन्त मूल्य में 10 करोड़ या इस से अधिक की वृद्धि दिखाई गई है, तो प्रस्तुत उप-कंडिका की व्यवस्थाओं के प्रयोजनार्थ न्यूनतम वृद्धि की संगणना 50% के बजाए 25% पर की जाएगी)। ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र स्वीकृत करने की सुविधा इस प्रकार दी जाए :— (क) यदि पंजीकृत निर्यातक एक विनिर्माणकर्त्ता निर्यातक है तो उसे इस कंडिका की उप-कंडिका (1) में उप-अनुच्छेद (3) में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में भी प्राधिकार पत्र दिए जाएं।

1	2	3
		(ख) यदि पंजीकृत निर्यातक एक पात्र निर्यात सदन है तो उसे इस कंडिका की उप-कंडिका (1) में उप-अनुच्छेद (3) में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में भी प्राधिकार पत्र दिए जाएं । (ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) में दी गई सुविधा इस कंडिका की उप-कंडिका (1) के उप-अनुच्छेद (1) में सूचीबद्ध मदों के लिए उपलब्ध नहीं होगी ।
57	खंड–1 भाग ई०, पैरा 15	निम्नलिखित को उप-पैरा 15(4) के रूप में जोड़ा जाए:— "(4) जिस मामले में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यातक निर्यातों और उत्पादन से संबंधित कोई आंकड़े अप्रर्याप्त कारणों से लाइसेंस प्राधिकारी या प्रायोजक प्राधिकारी या पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी को निर्धारित अवधि में और निर्धारित रीति से देने में असफल रहा है, या अपेक्षित आंकड़े देते हुए ऐसे आंकड़ों के सत्यापन के लिए सरकार को आगे सूचना देने में असफल रहा है तो वह पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी को ऐसे निर्यातक को एक निर्धारित अवधि या अनिश्चित काल के लिए और किसी विशिष्ट निर्यात उत्पाद या उत्पादों या पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में सम्मिलित सभी निर्यात उत्पादों के लिए अपंजीकृत करने का आदेश दे सकता है; बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई तब तक नही की जाएगी जब तक कि निर्यातक को मामले की सुनवाई का सुअवसर प्रदान न किया गया हो । " टिप्पणी.—1975-76 की आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक के पृष्ठ 50 पर पैरा 107 में तत्सम्बन्धी परन्तुक भी तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

1	2	3
89	ए० 48 कालम–4.	मद संख्या (4) के सामने 25 प्रतिशत का अंकित मूल्य प्रतिबन्ध हटा दिया गया समझा जाए ।
129	बी० 31.1(1) कालम–4	निम्नलिखित मदें शापिंग सूची में जोड़ी जाए :— "(एयू) हाई ड्राक्सि इथिल सैल्यूलोस, मिथिल सैल्यूलोस, आपरिवर्तित मिथिल सैल्यूलोस यूरेमैन रेजिन्स तेल (10 प्रतिशत)".
139	बी० 62.1 कालम–4.	मद "(1)" के वर्तमान विवरण को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— "विशेष प्रयोजन के लिए सिन्थैटिक रबड़ जैसे एस बी आर/पोलिबूटाडीन पोलि-इसोप्रीन; क्लोरोप्रीन, नाइट्राइल, पीबीसी नाइट्राइल, हाईपैलान ब्यूटिल एवं सिन्थैटिक लैटैक्स जिसमें बिनाइल पाइरिडीन, लैटेक्स एवं पोलियर एवं निट्रीन बूटाडीन लैटैक्स आदि भी शामिल है (25–प्रतिशत)" ।
145	बी० 70.3 कालम 5.	कालम 5 मे निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाए :— "(1) लैनलिन का आयात केवल "कार्बन कागज" के निर्यातों के मद्दे ही स्वीकृत किया जाएगा ।"
168	ई.1 कालम 5.	टिप्पणी (6) में दूसरा वाक्य हटाया गया समझा जाए ।
170	ई० 1.1 कालम 5.	टिप्पणी सं० (1), (2) एवं (5) में दिखाए गए वर्तमान "मत्स्य निदेशक" शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "मत्स्य निदेशक/एम पी ई डीए."
171–172	एफ० 1.3 कालम 5.	टिप्पणी सं० (3), (4) एवं (5) में दिखाए गए वर्तमान "मत्स्य निदेशक" शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "मत्स्य निदेशक/एमपीईडीए."

1	2	3
199	ओ० 1.4 ——— कालम–5.	वर्तमान टिप्पणी (2) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— "(2) नामांकन (1) सूत के मिश्रित कपड़े एवं/अथवा सैल्यूलोसिक तन्तु एवं ऊन एवं (2) गोटा-पट्टी एवं सजावटी सामान के विनिर्माण-कर्ता के नाम में किया जाए। मैटेलिक जिप फास्टनर्स/प्लास्टिक जिप फास्टनर्स/स्नैप फास्टनर्स के विनिर्माणकर्ताओं को क्रमशः मैटेलिक जिप फास्टनर्स के साथ पोशाकों/प्लास्टिक जिप फास्टनर्स के निर्यात के मद्दे ही नामांकित किया जाए [कृपया मैटेलिक यार्न के मामले में सामान्य टिप्पणी (1) के अन्तर्गत कालम 5 में टिप्पणी (24) देखें]।
231	बाई० 2 ——— कालम–4.	निम्नलिखित मद को जोड़ा जाए :— "(डी०) स्वैथिक लोहा अयस्क (10 प्रतिशत)".
235	परिशिष्ट–1 ——— क्रम सं० 7.	वर्तमान निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित कर "मत्स्य, मत्स्य आहार एवं मत्स्य उत्पाद" के रूप में पढ़ा जाए।

3. निम्नलिखित मदों को 1975–76 के लिए रेडबुक (बा० 2) के निर्यात के वर्गीकरण –खण्ड 4 में वर्णक्रमानुसार जोड़ा गया समझा जाए :—

अभियांत्रिक सामान

1. घड़ी साजों के लिए ऐल्यूमिनियम के राउन्ड ग्लास टाप बक्से	ए० 61.2
2 घड़ी साज के लिए चिमटियां . .	ए० 106.1
3. घड़ी साज के लिए पिनवाइस . .	ए० 106.1
4. पन्च सहित चिहुंटी रखने के बक्से . .	ए० 111.4
5. स्कूल लारियां (रेलें) . . .	ए० 141.1
6. रेल निरीक्षण या कारें . . .	ए० 141.1
7. केन लारियां (रेलें) . . .	ए० 141.2
8. घड़ी साज के लिए एल्यूमिनियम के आई ग्लास	ए० 163
9. इर्मसन पाइरोमीटर्स के लिए त्याज्य कारबूस .	ए० 163

बी० रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

1. सिलिकन कोटिड कागज . . .	बी० 67.1

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1975